मोतीलाल बनाम ओमी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-1-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ अवकाश में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9-1-24 को पेश हो।	
9-1-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ अवकाश में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-1-24 को पेश हो।	
12-1-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रस्तुत वादपत्र को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु न्यायालय जिलाकलक्टर, नीमकाथाना में प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की। जिसकी नकल वकील प्रतिवादी को दिलवाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 23-1-2024 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	मैं उपस्थित हूँ
23.01.24	पत्रावल पेश हुई। वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. का बाबत् प्रतिवादीगण की ओर पुनः जवाब देने व प्रतिवादीगण का ईकबालिया जवाब खारिज करने का पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यो को दौराने बहस दौहराते हुए ''उनवानी प्रकरण में वादी ने उक्त भूमि ईकरारनामा से खरीद करना बताया है जिस पर प्रतिवादीगण ने वादी पर विश्वास कर लिया था किन्तु उक्त ईकरारनामा की फोटो प्रतिलिपि लेने पर पता चला कि उक्त ईकरारनामा ही फर्जी है इस से पूर्व उक्त पत्रावली में प्रतिवादीगण ने उक्त उनवानी प्रकरण में ईकबालिया जवाब दे दिया था, जो वादी के विश्वास पर दिया गया था।'' कथन करते हुए प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से पुनः जवाब दिये जाने व ईकबालिया जवाब खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली का अवलोकन करने व	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:42 IST
Reason: SelfAttested

मोतीलाल बनाम गोठी देवी

क्र.नं. 87/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	वकील प्रतिवादीगण द्वारा बौसने बहस किये गये कथनों पर मनन किया गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 151 सी.पी. सी. का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये पर स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा आदेशिका पर ''मैं अपनी सहमति से विड्रा करना चाहता हूँ'' अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कर एक प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रा का पेश किया। जो शामिल मिशल किया गया। वादपत्र माननीय सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पेश किये जाने योग्य है जिसको अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में पेश कर दिये जाने का हवाला देते वादी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता तथा इसी स्तर पर विड्रा करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रा को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादपत्र बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर विड्रा किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

23/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:42 IST
Reason: SelfAttested